न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	जगदीश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मु.नं. 04/24 (अपील)	
	व्यस्त होने के कारण आदेश अपील लिखवाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश अपील दिनांक 19.6.25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	19.6.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.7.25 को पेश हो।	
	10/7/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 14/8/25 को पेश हो।	
	14.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/2024	23.08.2024	14.08.2025

बउनवान

1. जगदीश पुत्र रामसहाय, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा हाल निवासी ए–252, गली नं. 6, मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।
2. भागचन्द पुत्र रामसहाय, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा, हाल निवासी ए–252, गली नं. 6, मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।
3. श्यामलाल पुत्र रामसहाय, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा, हाल निवासी ए– 252, गली नं. 6 मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।

..अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पाखर 2, हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. डालाबाई पत्नी किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. पूनम पुत्री किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. प्रिया पुत्री किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. सपना पुत्री किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. नीलम पुत्री किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. बेबी पुत्री किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. तेनिश पुत्र किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. केसरी देवी पत्नी स्व. लालाराम, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर दौसा, हाल निवासी ए–252 गली नं. 6 मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास जे.जे. कॉलोनी पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।
10. राजेश पुत्र लालाराम, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, दौसा, हाल निवासी ए–252 गली नं. 6, मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।
11. अनिता पुत्री लालाराम पत्नी मदनलाल, निवासी मकान नं. 8355/130, कटरा गौरी रानी मांसी रोड, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली।
12. लक्ष्मी पुत्री स्व. लालाराम पत्नी प्रेमचन्द, निवासी एच.एन. 26/10, इन्दरा मोहन को– ऑपरेटिव कल्याण, कैम्प बदरपुर, दक्षिण दिल्ली।
13. किरण पत्नी स्व. जयप्रकाश, हाल निवासी ए–252, गली नं. 6, मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।
14. मोहित पुत्र जयप्रकाश नाबालिग संरक्षिका माता किरण पत्नी स्व. जयप्रकाश, हाल निवासी ए–252, गली नं. 6, मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।
15. कनव पुत्र स्व. जयप्रकाश नाबालिग संरक्षिका माता किरण पत्नी स्व. जयप्रकाश, निवासी सायपुर 2, हाल निवासी ए–252, मदिपुर मैट्रो स्टेशन के पास, जे.जे. कॉलोनी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

16.आशा देवी पुत्री स्व. हरीसिंह पत्नी शंकरलाल, निवासी सायपुर 2, तहसील मण्डावर, हाल निवासी ए–171, मादीपुर कॉलोनी, पश्चिम दिल्ली।

17.तरावती पुत्री हरीसिंह पत्नी मनोज कुमार, निवासी सायपुर 2, हाल निवासी मकान नं. आरजेडबी 192, निहाल विहार नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली।

18.तहसीलदार मण्डावर।

..रेस्पोडेन्ट्स

<u>उपस्थित</u>

1. अभिभाषक अपीलान्ट्स – श्री राजूलाल मुराडिया, श्री विक्रम सिंह गुर्जर।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 2 लगायत 17 – श्री खेम सिंह गुर्जर।

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 93 दिनांक 19.06.1985 ग्राम सायपुर ग्राम पंचायत पाखर 2, हाल नगरपालिका मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

1. यह अपील अपीलान्ट्स की ओर से इस आशय की पेश की है कि विवादित आराजी खसरा सं. 45, रकबा 0.34 हैक्टे. ग्राम सायपुर 2, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है जो गत खसरा सं. 45, रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से बना है। गत खसरा सं. 45 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा अपीलाण्ट्स के दादा व रेस्पोडेण्ट सं. 2 के पड ससुर, 3 लगायत 8 के पड दादा, 9 के पड ससुर, 10 लगायत 12 के पड दादा, 13 के पड ससुर, 14,15 के पड दादा व 16,17 के पड दादा सुखराम उर्फ सूसराम उर्फ सूस्या पुत्र ग्यारसीराम के नाम खातेदारी में रही है। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स का सजरा निम्नानुसार है–

सुखराम उर्फ सूसाराम उर्फ सूस्या
- रामसहाय (पुत्र)
  - किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द (फौत)
  - जगदीश (पुत्र)
  - भागचन्द (पुत्र)
  - लालाराम (पुत्र)
  - श्यामलाल (पुत्र)
  - हरीसिंह (फौत) (पुत्र)
    - आशा देवी (पुत्री)
    - तारावती (पुत्री)

किशनचन्द उर्फ कृष्णचन्द पुत्र रामसहाय
- डालाबाई (पुत्री)
- पूनम (पुत्री)
- प्रिया (पुत्री)
- सपना (पुत्री)
- नीलम (पुत्री)
- बेबी (पुत्र)
- तेनिश (पत्नी)

लालाराम पुत्र रामसहाय (फौत)
- केसरी देवी (पत्नी)
- जयप्रकाश (पुत्र)
  - किरण (पत्नी)
  - मोहित (पुत्र)
  - कनव (पुत्र)
- राजेश (पुत्र)
- अनीता (पुत्री)
- लक्ष्मी (पुत्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

विवादित आराजीयात अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज सुखराम उर्फ सूसाराम उर्फ सूस्या की खातेदारी की आराजी रही है। सुखराम उर्फ सूसाराम उर्फ सुस्या के एक पुत्र रामसहाय जो अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेण्ट के दादा पडदादा रामसहाय हुआ था। खातेदार सुखराम उर्फ सूसाराम उर्फ सुस्या का देहान्त होने के कुछ माह बाद ही अपीलान्ट के पिता रामसहाय का देहान्त हो गया था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा रामसहाय की मृत्यु के बाद मृतक सुखराम उर्फ सूसाराम उर्फ सुस्या की विरासत का नामान्तरकरण सं. 93 दिनांक 19.06.1985 का ग्राम पंचायत पाखर–2 द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोला गया। रामसहाय की मृत्यु होने के पश्चात मृतक सुखराम की विरासत का नामान्तकरण जैरे अपील खोला जाकर स्वीकार किया गया है जिसमें अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेण्ट्स के बाबा व पडबाबा, ससुर का नाम सुखराम अंकित कर दिया गया है जबकि रामसहाय दर्ज होना चाहिये था। उसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठियां कर दी गयी जो वर्तमान में चली आ रही हैं जबकि नामान्तरकरण सं. 93 दिनांक 19.06.1985 के मुख्य पृष्ठ पर विरासत का सजरा अंकित है जिसमें स्पष्ट रूप से सूस्या उर्फ सुखराम का पुत्र रामसहाय व रामसहाय के पुत्र लालाराम हरिसिंह किशनचन्द श्यामलाल भागचन्द जगदीश दर्ज है लेकिन विरासत के नामान्तरकरण के कॉलम में लालाराम हरीसिंह किशनचन्द श्यामलाल भागचन्द जगदीश पुत्रान सुखराम गलत दर्ज कर दिया है जबकि पिता का सही नाम रामसहाय नामान्तरकरण के कॉलम में दर्ज होना चाहिये। उसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबदी में वर्तमान में चली आ रही है। राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरकरण भरते एवं खोलते समय घोर लापरवाही की है। ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया उक्त नामान्तरकरण जैर अपील बिना किसी प्रकार की जांच किये ही खोल दिया गया है जिससे अपीलान्ट्स के अधिकारों का हनन हो रहा है तथा राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे परिलाभों से वचित हो रहे हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट्स को पूर्व में नहीं थी लेकिन अपीलाण्ट दिनांक 10.05.2024 को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान निधि योजना के लिये आवेदन करने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई, तब इसका पता चला कि अपीलान्ट्स के पिता का नाम गलत कर रखा है। इसके बाद अपीलान्ट ने तहसीलदार मण्डावर से उक्त अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया लेकिन तहसीलदार मण्डावर ने उसे दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने को कहा। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तरकरण के बने रहने से एवं उसके आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में उक्त गलत इन्द्राज के बने रहने से अपीलान्ट्स को भारी क्षति हो रही है। इस कारण उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। विनाय अपील दिनांक को विवादित नामान्तरकरण की नकल लेने पर जानकारी होने से एवं तहसीलदार मण्डावर द्वारा उसे दुरूस्त किये जाने से इन्कार करने से बमुकाम सायपुर–2, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में पैदा हुआ है। अपील की जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अपील पर कोर्ट फीस एवं तलबाना शुल्क नियमानुसार प्रस्तुत है। अतः अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण सं. 93 को निरस्त फरमाते हुये प्रकरण को तहसीलदार मण्डावर को प्रति प्रेषित करते हुये मृतक रामसहाय के वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने स्वीकार करने के आदेश करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोन्डेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील के बावजूद, रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 तथा 18 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 लगायत 17 की ओर से अभिभाषक श्री खेम सिंह गुर्जर न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिये रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3. अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार मण्डावर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025 के अनुसार, ग्राम सायपुर 2 के नामान्तरकरण संख्या 93 को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.06.1985 को मृतक सुखराम पुत्र ग्यारसीराम की विरासत लालाराम, हरिसिंह, किशनचंद, श्यामलाल, भागचंद, जगदीश पि. सुखराम कौम बलाई सा. देह के नाम दर्ज की गई। गिरदावर द्वारा उक्त नामान्तरकरण की 18.06.1985 को जांच की गई। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 19.06.1985 को लालाराम, हरिसिंह, किशनचंद, श्यामलाल, भागचंद पि. खुद के नाम समान भाग स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर ही विरासत का सजरा बना हुआ है जिससे यह जाहिर होता है कि सुखराम उर्फ सुख्या का पुत्र रामसहाय है एवं रामसहाय के पुत्र क्रमशः लालाराम, हरिसिंह, किशनचंद, श्यामलाल, भागचंद, जगदीश है। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा वल्दियत में सुखराम दर्ज किया गया जबकि लालाराम, हरिसिंह, किशनलाल, श्यामलाल, भागचंद, जगदीश के पिता का नाम रामसहाय है। वर्तमान में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, ग्राम सायपुर 2 के खसरा सं. 45 रकबा 0.34 हैक्टे. की खातेदारी किशनचंद, जगदीश, भागचंद, लीलाराम, श्यामलाल, हरिसिंह पि. सुखराम जाति बलाई सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सायपुर 2 के आराजी खसरा सं. 45 रकबा 0.34 हैक्टे. पर ग्राम में जानकारी के दौरान लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खसरा सं. पर खातेदारों के द्वारा अपनी कृषि भूमि को स्वयं दिल्ली में रहने के कारण अपने परिवार के सदस्यों को काश्त हेतु बटाई पर बता रखी है।

4. अपील पर अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपील पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025, ग्राम पंचायत पाखर 2 के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 93 आदेश दिनांक 19.06.1985 का अवलोकन किया गया।

6. ग्राम पंचायत पाखर 2 के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 93 दिनांक 19.06.1985 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विरासत नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत पाखर 2 द्वारा सुखराम पुत्र ग्यासीराम के फौत होने पर लालाराम, हरिसिंह, किशनचन्द, श्यामलाल, भागचन्द, जगदीश पि. सुखराम के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। नामान्तरकरण रजिस्टर सं. 93 के मुख्य पृष्ठ पर लिखित विरासत का सजरा तथा तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025 में भी उल्लिखित है कि सुखराम के पुत्र तथा लालाराम, हरिसिंह, किशनचन्द, श्यामलाल, भागचन्द, जगदीश के पिता का नाम रामसहाय है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पाखर 2 के द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तरकरण सं. 93 आदेश दिनांक 19.06.1985 में सुखराम पुत्र ग्यासीराम का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय लालाराम, हरिसिंह, किशनचन्द, श्यामलाल, भागचन्द, जगदीश के पिता का नाम सुखराम दर्ज किये जाने की त्रुटि हुई है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये ग्राम पंचायत पाखर–2 के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 93 आदेश दिनांक 19.06.1985 को निरस्त किया जाना उचित है।

आदेश

8. अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पाखर–2 के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 93 आदेश दिनांक 19.06.1985 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार मण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावर उक्त नामान्तरकरण सं. 93 से सम्बन्धित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 14.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)